राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :–463/2024

संगीता शंकर रोत

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री पवन सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण परि.झोथरी, डूंगरपुर से परि. बांसवाडा सिटी, बांसवाडा किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जो स्थानान्तरण आदेश नियम 8(iii) राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के उल्लंघन में जारी किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी एकल महिला है। अपीलार्थी का उसके पति से विवाद चल रहा है और घरेलू हिंसा का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति का देखते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. स्थानान्तरण आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त आदेश समेकित बाल विकास सेवाएं एवं पंचायती राज (आईसीडीएस) विभाग द्वारा जारी किया गया है। ऐसे में प्रकट होता है कि निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं के पास पंचायती राज विभाग का भी कार्यभार है। ऐसे में हम पाते हैं कि अपीलार्थी का एक जिले से दूसरे जिले में किये गये स्थानान्तरण में नियम 8(iii) राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 का उल्लंघन नहीं हुआ है।
5. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी**

बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

6. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली व्यक्तिगत कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

7. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)